न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/06/2021

असगर अली उचित मूल्य दुकानदार ग्राम रूंध खोह ग्राम पंचायत टोडा तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 18.01.2021 प्रकरण संख्या 31/2020 सरकार बनाम असगर अली अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम।

निर्णय दिनांक 09.11.2021

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 18.01.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट की जमा शुदा प्रतिभूति राशि व प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2021 खिलाफ कानून मौका एवं रिकार्ड के विपरीत पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया है। अपीलान्ट को कोई नोटिस तामील नही हुआ है जो कि तहत न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट अभिभाषक ने कथन किया है कि जांच अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की दुकान के अलावा अन्य

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

दीगर स्थान पर बैठकर जांच की गई है जो कि उक्त व्यक्ति उपभोक्ता ही नही है। रिपोर्ट में किसी भी उपभोक्ता का राशनकार्ड संलग्न नही किया और ना ही किसी तरह की रिपोर्ट की है। उक्त जांच झूठी शिकायत के आधार पर की गई है। जांच रिपोर्ट में भी आपसी विवाद का उल्लेख किया गया है। जांचकर्त्ता ने अपनी रिपोर्ट में पोस मशीन के हिसाब से कुल गेहूं की मात्रा 95.23 क्विंटल होनी चाहिये जो कि रिकार्ड के विपरीत है। निरीक्षण प्रपत्र व पोस मशीन के हिसाब से कुल गेहूं 65 क्विंटल होना चाहिये था जबकि मौके पर 50 किलोग्राम के हिसाब से 140 कट्टे होने पर कुल 70 क्विंटल गेहू व दुकान में खुला हुआ गेहूं भी था। इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पोस मशीन में उल्लेखित रिकार्ड व मौके पर उपलब्ध राशन सामग्री की गलत रिपोर्ट तैयार की है जो कि तहत न्यायालय ने कार्यवाही कर भारी भूल की है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह गलत है कि मौके पर अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण न कर किसी अन्य से राशन वितरण का कार्य कराया जाता है। अपीलान्ट करीब 7–8 माह से बीमार था जिसकी सहायता उसकी पत्नी द्वारा राशन वितरण में की जाती थी। जांचकर्त्ता द्वारा अपीलान्ट की पत्नी के हस्ताक्षर न कराकर दुकान पर मौजूद सूबेखान पुत्र सुमराती के हस्ताक्षर कराये गये है जो कि दबाब देकर का कराये गये है। जांच रिपोर्ट दबाब में तैयार की गई है जिस पर तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करता है तथा अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य है। उक्त कार्यवाही मात्र गांव की पार्टीबंदी के आधार पर झूठी शिकायत पर दबाब में आकर की गई कार्यवाही है जो कि काबिल निरस्तनीय है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलधीन आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक डीग द्वारा अपीलान्ट असगर अली उचित मूल्य दुकानदार रूंध खोह तहसील डीग की शिकायत की जांच हेतु मौके पर पहुचकर उपभोक्ताओ से पूछताछ तथा दुकान के निरीक्षण में अनियमितताऐ पाई गई है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा दौराने जांच अवगत कराया कि दुकानदार द्वारा स्वंय राशन वितरण का संचालन नही कर अन्य व्यक्तियों द्वारा दुकान का संचालन कराया जाता है तथा गेहूं की पूरी मात्रा नही देता है। उपभोक्ताओं से गलत व्यवहार करना, निशुल्क गेहूं के पैसे लेना अवगत कराया गया है। खाद्यान्न का 01 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वितरण करना भी जांच में बताया गया है। दौराने जांच दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि सुबेखान पुत्र सुमराती राशन वितरण करता हुआ मिला। दुकान के भौतिक सत्यापन करने तथा पोस मशीन से जांच करने पर दुकानकार के स्टॉक में पोस मशीन के अनुसार

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

95.23 किलो गेहूं, 30 किग्रा दाल व 38 किग्रा चना होना चाहिये था जबकि मौके पर दुकान में 30 किग्रा दाल व 38किग्रा चना का पूरा स्टांक मिला लेकिन गेहूं के 140 कट्टे प्रति कट्टा 50 किग्रा कुल 70 क्विंटल गेहूं मिला जो कि स्टांक से 25.23 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। पैरोकार रसद द्वारा कथन किया है कि डीलर द्वारा वितरण में काफी अनियमितताऐं की जांच में राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है जो कि दण्डनीय अपराध है। अपीलाधीन आदेश सही एवं कानूनन पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। डीलर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण करने एवं उसके संधारण करने में अनियमितताऐं बरती गई है। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को तहत न्यायालय द्वारा नोटिस सम्मन से तलब किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब आदि पेश नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र उपभोक्ताओं का 25.23 क्विंटल गेहूं का कालाबाजारी करने की नियत से खाद्यान्न से वंचित रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाते है।

<u>अतः आदेश है कि :–</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 09.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर